FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0201 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/09/2024 14:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 11/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:33 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/09/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/09/2024 14:17:06 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 335 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** MAHAVALI FURNITUR AND WAELDING WORKS, BADA BAZAR KUJADA GALI, DIST JALAWAR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUHAMMAD ASIF

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HUSSAIN MUHAMMAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 24/04/1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.30, DHAPAOLA GALI BADA BAZAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.30, DHAPAOLA GALI BADA BAZAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRIYANSH GOYAL		पिता:VIRENDRA GOYAL	1. MAKAN NO.17,BARAN ROAD,SARASWATI COLONY,KOTA
2	GAJENDRA KUMAWAT		पिता:RADHESHYAM KUMAWAT	1. MAKAN NO.1143,MURLI MANOHAR MANDIR,MELA MAIDAN,SUNEL,JHALAWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2024 को ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर की हेल्प लाईन नम्बर 1064 से कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि श्री राशीद खान के मोबाईल नं0 [redacted] पर बात कर कार्यवाही करें। इस पर उक्त मोबाईल नम्बर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बातचीत कर परिवादी को कार्यालय में तलब किया गया। इस पर दो व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे परिचिय प्राप्त करने पर एक ने अपना नाम मोहम्मद आसिफ व दूसरे अपना नाम राशीद खान होना बताया तथा कहा कि हम दोनों सगे भाई है । इस पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वार्ड नं0 30 ढ़पौला गली बड़ा बाजार, झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) का होना बताया तथा एक स्वयं हस्तलिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत देने हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश की कि मेरा व मेरे भाई मोहम्मद आरिफ का काम स्टील फर्निचर का है। उस काम को बढ़ाने के लिए हमने यू.पी.वी.सी. मशीन, विंडो मशीन खरीदने के लिए मेरे भाई मोहम्मद आरिफ के नाम से उघोग केन्द्र झालावाड़ में माह अगस्त में लोन के लिए आवेदन किया था, जिस पर हमारा उघोग केन्द्र झालावाड़ से 11,00,137 रूपये का लोन वहां से पास होकर एस.बी.आई. ब्रांच गढ़ परिसर शाखा झालावाड़ से प्रोसेस होकर एस.बी.आई. की बड़ी ब्रांच आर.ए.सी.सी. झालावाड़ में जाना बताया। इस पर मैं आर.ए.सी.सी. ब्रांच झालावाड़ में गया तो वहां मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होने अपना नाम प्रियांश अग्रवाल प्रोसेसिंग उप प्रबंधक होना बताया। उन्होने मुझसे हमारा लोन पास करने की एवज में मुझसे 50,000रूपये की मांग की गई। इस पर हमने रूपये कम करने की कहा तथा हमारे हाथा जोड़ी करने पर वह 40,000रूपये का दबाव बनाकर लेने के लिए राजी हुए। फिर उन्होने अपने स्टाफ में से एक व्यक्ति से हमें मिलवाया जिसका नाम गजेन्द्र था उन्होने 40,000रूपये का इंतजाम कर गजेन्द्र को देने के लिए हमसे बोला था। इस पर गजेन्द्र तकरीबन 15 दिनों से मुझे फोन कर 40,000रूपये लेने के लिए दबाव बना रहा है। वह वर्कशॉप पर आकर भी रूपये लेने के लिए दबाव बनाता है। मैं और मेरा भाई आरिफ अपने जायज काम के लिए प्रियांश अग्रवाल व गजेन्द्र को 40,000रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहते है तथा उनको रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहते है। मेरा उनसे कोई पुराना लेनदेन या उधारी बकाया नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। मैं अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरे उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है । अतः परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को आरोपीगण के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। परिवादी ने बताया कि गजेन्द्र मुझे फोन करके बुलायेगा तब मैं आपके कार्यालय में आ जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व उसके भाई श्री राशिद खान को समझाईस कर सहआरोपी श्री गजेन्द्र का फोन आने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश देकर रूखसत किया गया। समय 09.50 पीएम पर परिवादी श्री मोम्मद आसिफ व उसका भाई श्री राशिद खान कार्यालय में उपस्थित आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि लगभग 8.00 पीएम पर गजेन्द्र जी का मेरे पास फोन आया था, जिसके बारे में हमने आपको फोन कर बताया था कि गजेन्द्र जी ने मुझे राधारमन मैरिज हॉल झालावाड़ के पास बुलाया है। इस पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के सामने चेक किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 1067DXJDL01X BM MADE IN CHINA) डालकर परिवादी को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग

करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को आरोपीगण से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु उसके भाई श्री राशिद खान व कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को उनके साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 10.50 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व उसका भाई श्री राशिद खान तथा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 1067DXJDL01X BM MADE IN CHINA) पेश किया। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू अपने भाई श्री राशिद खान व श्री देवदान कानि0 425 के समक्ष बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व मेरा भाई अपनी मोटरसाईकिल से व श्री देवदान सिंह जी अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके, जहां पर श्री देवदान सिंह जी ने मुझे पुनः समझाईश की। मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू किया तथा अपनी मोटरसाईकिल से मैं व मेरा भाई रवाना हुए। हमारे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुए। मैं व मेरा भाई राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ के सामने पहुंचे जहां पर पूर्व से ही श्री गजेन्द्र जी हमारा इंतजार करते हुए मिले। श्री गजेन्द्र जी ने मेरा मोबाईल मेरे भाई श्री राशिद खान को सम्भलाकर हमारी मोटरसाईकिल वहीं खड़ी करवा दी तथा मुझे अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर खेल संकूल, झालावाड़ परिसर में ले गये जहां पर पूर्व से श्री प्रियांश अग्रवाल हमारा इंतजार करते हुए टहल रहे थे। जिन्हें देखकर हम उनके पास पहुंचे। उन्होने मुझसे रिश्वत के बारे में पूछा तो मैंने कहा सर अभी मेरे पास 10,000रूपये पड़े है, यह ले लो बाकि 30,000रूपये मैं कल आपके कहे अनुसार दे जाउंगा। इस पर उन्होने 10,000 रूपये गजेन्द्र को देने के लिए कहा इस पर मैंने 10,000रूपये गजेन्द्र को दे दिये थे तथा श्री प्रियांश अग्रवाल ने शेष रिश्वत राशि 30,000रूपये भी कल गजेन्द्र जी को देने के लिए कहा है । हमारी बातचीत होने के बाद गजेन्द्र जी मुझे पुनः अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ ले गये तथा मुझे छोड़कर मुझसे कहा कि 30,000रूपये कल दे ही देना नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। इसके बाद वह अपनी मोटरसाईकिल से चले गये थे। इस दौरान श्री देवदान सिंह जी अपनी मोटरसाईकिल से हमारे पीछे-पीछे खेल संकूल परिसर में आये थे तथा दूर से हमारे ऊपर निगरानी रखे हुए थे। गजेन्द्र जी के जाने के बाद मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। श्री देवदान सिंह जी हमारे पास आ गये थे, जिनको व मेरे भाई को मैंने सारी बात बतायी उसके बाद राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ से अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर एसीबी कार्यालय झालावाड़ आये है। इस दौरान हमारे बीच हुई सम्पूर्ण वार्तालाप जो आप द्वारा मुझे सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गयी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया तथा परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री देवदान सिंह कानि0 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व उनके भाई श्री राशिद खान के साथ मैं राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ से कुछ दूरी पर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था, जहां पर एक व्यक्ति के साथ परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ मोटरसाईकिल पर बैठकर खेल संकूल, झालावाड़ के परिसर में गया था। मैं भी उनके पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से उन पर निगरानी रखते हुए गया था। खेल संकूल में दूर से दिखाई देने वाले स्थान से मैंने देखा परिवादी अपने साथ गये व्यक्ति व वहां पहले से मौजूद व्यक्ति से आपस में वार्ताऐं कर रहे थे। बाद में जिस व्यक्ति के साथ परिवादी गया था उस व्यक्ति के साथ ही उसकी मोटरसाईकिल पर बैठकर राधारमन मैरिज हॉल, झालावाड़ आया था। उस व्यक्ति के जाने के बाद परिवादी ने मुझे व उसके भाई को सारा घटनाक्रम बताया उसके बाद हम रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। परिवादी के भाई श्री राशिद खान ने भी अपने भाई मोहम्मद आसिफ व श्री देवदान सिंह द्वारा उसके सामने कहे गये कथनों की ताईद की। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 11.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के कार्यालय में उपस्थित होने पर स्वतन्त्र गवाहान तलब कर उनकी उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को आरोपीगण की मांग अनुसार शेष 30,000रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 11.09.2024 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर परिवादी व उसके भाई को अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 11.09.2024 समय 11.00 एएम पर कार्यालय में परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ उपस्थित आया और बताया कि दिनांक 10.09.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय श्री प्रियांश जी ने बाकी शेष रिश्वत राशि के 30,000रूपये आज दिनांक 11.09.2024 को श्री गजेन्द्र जी को देने के लिए कहा था। मेरे द्वारा 30,000रूपये की

रिश्वत राशि का इंतजाम कर लिया गया है। इस पर दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 1158 दिनांक 11.09.2024 जारी कर श्री शिवराज कानि0 166 को पत्र देकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला झालावाड़ के लिए रवाना कर हिदायत की कि गवाहान को अपने साथ ही लेकर आये। समय 11.50 एएम पर श्री शिवराज कानि0 166 मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़ के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 11.09.2024 में अंकित स्वतंत्र गवाहान अपने साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सतीश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री कृष्णगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 55 साल निवासी सुभाष कॉलोनी, झालावाड़ हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड़ मो0नं0 व दूसरे ने अपना नाम देवाशीष कालवा पुत्र स्व0 श्री राकेश कालवा जाति कन्डारा उम्र 26 साल निवासी बसेड़ा मोहल्ला, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड़ मो0नं0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया तथा पास ही बैठे परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ से उनका आपसी परस्पर परिचय करवाकर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा दिनांक 10.09.2024 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीशचन्द शर्मा प्रशासनिक अधिकारी व श्री देवाशीष कालवा कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ एवं आरोपीगण श्री प्रियांश अग्रवाल व श्री गजेन्द्र के मध्य परस्पर रिश्वत राशि मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 1067DXJDL01X BM MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड है। दिनांक 10.09.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज सहआरोपी श्री गजेन्द्र की तथा तीसरी आवाज आरोपी श्री प्रियांश अग्रवाल की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली की गई। समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीशचन्द शर्मा प्रशासनिक अधिकारी व श्री देवाशीष कालवा कनिष्ठ सहायक के समक्ष अपने पास से आरोपी श्री प्रियांश अग्रवाल प्रोसेसिंग उप प्रबंधक एसबीआई ब्रांच आरएसीसी झालावाड़ की अपनी मांग अनुसार श्री गजेन्द्र को देने हेतु शेष रिश्वत राशि 500-500रूपये के 60 नोट कुल 30,000रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 30,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा से परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपीगण की मांग अनुसार श्री गजेन्द्र द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष

कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री सतीशचन्द शर्मा व श्री देवाशीष कालवा एवं परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों टे^{a}प सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.40 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने बताया कि श्री गजेन्द्र जी मेरी मोबाईल पर वार्ता हो गई। वह रिश्वत राशि लेने मेरी दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ पर 15-20 मिनट में आने के लिए बोला है। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को उसकी मोटर साईकिल से उसकी दुकान के लिए रवाना रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा व श्री देवाशीष कालवा व जाब्ता श्री मोहम्मद आफा़क़ सउनि, मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28 एक मोटर साईकिल से व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कॉनि0 166 एक अलग मोटर साईकिल से मय सरकारी व प्राईवेट मोटरसाईकिलों से बजानिब महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द शर्मा व श्री देवाशीष कालवा तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के सरकारी व प्राईवेट अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ भी अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को पुनः समझाईस कर उसकी दुकान पर रवाना किया तथा वाहनों को कुजड़ा गली में कोने पर साईड में खड़ा कर वाहनों से उतरकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ से कुछ दूरी पर मोड़ पर जहां से उसकी दुकान दिखायी दे रही थी, उस स्थान पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा सहआरोपी श्री गजेन्द्र के दुकान पर आने व रिश्वत राशि देने के उपरान्त परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। समय 04.33 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने अपनी दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड के सामने मैन रोड़ से रोड़ के कोने पर खड़े मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसीबी टीम की और रिश्वत देने का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर कर किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों को अपने पीछे आने का ईशारा कर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्ड प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान अपने पास ही खड़े व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री गजेन्द्र जी है जिनको मैंने पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के समय श्री प्रियांश गोयल जी से हुई वार्ता अनुसार ही अभी-अभी श्री गजेन्द्र जी को 30,000 रूपये शेष रिश्वत राशि के दिये है, जो इन्होने बिना गिने ही दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रख लिये है। जिनको मैंने इनसे रिश्वत राशि को गिनने के लिए भी बोला था, तो इन्होने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त को अपना नाम व पद का परिचिय कराते हुए आने का कारण बताकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री राधेश्याम कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल

निवासी मकान नं. 1143 मुरली मनोहर मन्दिर, मैला मैदान, सुनेल जिला झालावाड़ हाल फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कम्पनी ऑडिटर सहायक होना बताया। इस पर अभी-अभी परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो बताया कि 25 अगस्त 2024 को श्री मोहम्मद आसीफ महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस के प्रोपराईटर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मिनि आरएसीपीसी, शाखा दुर्गपुरा रोड़, झालावाड़ आये थे। जहां पर इन्होने मेरे से गोरमेंट स्कीम में लोन करवाने के लिए डोक्युमेंट तैयार करने की मुझसे कहा, मेरे द्वारा इनसे फर्म की पूरी जानकारी ली गई। उसके बाद इन्होने मुझे बताया कि हमने एक गोरमेंट स्कीम मुख्यमंत्री लघु उघोग योजना में एप्लाई किया है, जिसके लोन डोक्युमेंट मुझे तैयार करने थे। मैंने इनको अपनी फीस 50,000रूपये बतायी जो कि पूरा लोन तैयार करवाने व डोक्युमेंट तैयार करने के व पूरा इनका काम कराने तक की फीस 5 प्रतिशत के हिसाब से 50,000रूपये बतायी थी, जो यह देने के लिए तैयार हो गये थे। इसके बाद में अगले दिन इनकी दुकान पर गया तब इन्होने मुझे जल्दी से जल्दी डोक्युमेंट तैयार करके इनको देने की बोला उसके पश्चात् मैं आ गया था। उसके बाद दो दिन पश्चात डोक्युमेंट तैयार करके मैंने इनको दे दिये और एडवान्स के तौर पर 2500रूपये फोन पे किये थे तथा शेष राशि लोन होने के बाद अदा करने का वचन दिया। 30 अगस्त 2024 को महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस का 9,90,000रूपये का लोन एसबीआई शाखा आरएसीसी झालावाड़ द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात् मैंने बकाया रकम इनको अदा करने के लिए फोन किया। इनके द्वारा मुझे 3-4 दिन में पेमेंट करने का बोला गया। इन्होने बोला कि अभी मेरे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है और मैं किसी और से उधार लेकर के आपको अदा करूंगा। इसी बीच इन्होने गढ पैलेस ब्रांच में मार्जिन मनी 1,10,000रूपये जमा किये और इन्होने लोन वितरण करने का बोला। मेरे द्वारा इनको मेरी बकाया राशि भुगतान करने को बोला तो इन्होने मुझे बार-बार चक्कर दिये और मेरा भुगतान नहीं किया। मैं इनको कई बार फोन कर चुका था और इनकी दुकान पर भी इनसे मिलने कई बार गया था। इसके पश्चात् इन्होने मुझे कल दिनांक 10.09.2024 को रात्रि 10.00 बजे खेल संकूल के पास बुलाया और मुझे 10,000रूपये अदा किये। बाकी का पेमेंट इन्होने आज मुझे अदा करने का कहा था, उसी राशि के मैंने 30,000रूपये इनकी दुकान पर अभी प्राप्त किये है। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद आसीफ से पूछा गया तो उसने सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैं एसबीआई शाखा गढ परिसर झालावाड़ में लोन के बारे में पूछने गया तो वहां लोन प्रबंधक दीपक सर ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई मोहम्मद आरीफ की लोन फाईल में कुछ कमीयां है। तुम श्री गजेन्द्र जी से मिल लो और उनके मोबाईल नम्बर मुझे दिये। इस पर मैं फोन करके श्री गजेन्द्र जी से मिला तो इन्होने मुझसे कहा कि पूर्व में आपके भाई ने कोई लोन लिया हो तो उसके डोक्युमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उघयम आधार, संस्था आधार इत्यादी लाकर मुझे दो जबकि मैंने उक्त डोक्युमेंट फाईल में पहले से ही लगा रखे थे। इसके बाद इन्होने कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2500रूपये लगेगें तो मैंने फोन पे से उसका भुगतान किया और इन्होने मुझसे बोला कि यह तेरा लोन क्लीयर होने तक की राशि है। इसके बाद मैं तुझसे एक रूपया भी नहीं मागूंगा और आपका काम हो जायेगा। जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होने मुझे दी फिर इन्होने बोला कि आपका लोन 11,00,137रूपये का होगा और उसमें से 5 प्रतिशत कमीशन के तौर पर हमें देना होगा वरना हम फाईल का लोन वितरण नहीं करने देगें और अगर गलती से वितरण हो भी गया तो इसमें तुझे उघोग केन्द्र से जो सबसीडी मिलने वाली थी उसमें हम कुछ गडबड़ करके आपकी सबसीडी रूकवा देगें और आपके पेलेन्टी भी हम लगवा देगें। फिर मुझे इन पर शक होने के कारण मैं एबीआई बैंक शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड़ में श्री प्रियांश जी से मिला तो उन्होने लोन राशि 11,00,137 रूपये पर 5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 50,000रूपये रिश्वत की मांग की तथा फिर हमारे हाथाजोड़ी करने पर उन्होने 40,000रूपये लेने के लिए राजी हुए व गजेन्द्र जी से मिलकर उनको 40,000रूपये देने के लिए कहा था और कहा था कि यदि जल्दी रूपये नहीं दोगें तो आपकी फाईल रोक देगें। इस कारण में परेशान होकर एसीबी कार्यालय में आकर आपको प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए उसी दिन आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के समय 10,000रूपये रिश्वत राशि मैंने श्री प्रियांश जी से मिलकर उनके कहने पर श्री गजेन्द्र जी को खेल संकूल परिसर झालावाड़ में दे दिये थे तथा सत्यापन के दौरान ही श्री प्रियांश जी ने शेष रिश्वत राशि 30,000रूपये भी श्री गजेन्द्र जी को देने के लिए कहा था। जो आज मैंने बाकि शेष रिश्वत राशि 30,000रूपये श्री गजेन्द्र जी को मेरी दुकान पर आने पर दिये है। रिश्वत राशि देने के बाद मैंने श्री गजेन्द्र जी से कहा कि श्री प्रियांश सर से बात कराओ तब इन्होने अपने फोन से श्री प्रियांश जी के फोन पर कॉल करके मेरी बात करवाई। मैंने श्री प्रियांश सर से कहा कि मैंने रूपये गजेन्द्र जी को दे दिये है। और मैंने उनसे यह भी पूछा मेरा लोन वितरण कब तक हो जायेगा तो श्री प्रियांश जी मुझसे कहा कि लोन वितरण आज होगा मुझे मालूम नहीं था। आपने पैसे दे दिये है तो आज ही हो जायेगा और एक बार गढ़ परिसर वाले दीपक सर से जाकर मिल लेना। श्री गजेन्द्र जी झूठ बोल रहे है कि यह उनकी फीस है जबकि उनकी फीस तो मैंने पूर्व में 2500रूपये फोन पे कर चुका था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत का बायां हाथ श्री मोहम्मद आफाक सउनि व दाहिना हाथ श्री भोजराज सउनि ने कलाई से ऊपर से पकड़ लिये तथा हाथ पकड़े स्थिति में परिवादी की दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, झालावाड़ के अन्दर ले गये। जहां पर दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। एक डिस्पोजल गिलास के घोल में सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत के दाहिना हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का

गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर शिल्ड मोहर कर सिल चस्पा कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के धोवन में सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत का बायें हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर शिल्ड मोहर सिल चस्पा कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। धोवन में काम में लिये गये दोनों प्लास्टिक के डिस्पोजल को नष्ट करवाया गया। सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत से रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने रूपये अपनी पहनी पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखे होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा को निर्देश देकर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत की पेन्ट की दाहिनी साईड के जेब की तलाशी लिवायी गयी तो उसमें 500-500रूपये की एक थेई निकाली जिसको स्वतंत्र गवाह श्री देवाशीष कालवा को फर्द सुपुर्द नोट सुपुर्द कर दोनों गवाहान से नोटो के मिलाने करने हेतु कहा गया तो दोनों ने फर्द सुपुर्दगी से हुबहु नोट मिलान होना पाया गया। उक्त सभी 500-500 के 60 नोटो को गिनकर कुल 30,000रूपयों को एक पीले लिफाफे में रखकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी ने बताया है कि रिश्वत राशि 30,000रूपये मैंने श्री गजेन्द्र कुमावत को देने के बाद उनकी श्री प्रियांश जी से मोबाईल पर बात करवायी थी तथा वह अभी एसबीआई बैंक शाखा आर.ए.सी.सी, झालावाड़ में ड्यूटी पर मौजूद है, श्री प्रियांश गोयल भी उक्त मामले में आरोपी है जिनसे रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछताछ की जानी है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को डिटेन कर मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी के मय ट्रेप बॉक्स व आर्टिकल्स तथा जब्त शुदा रिश्वत राशि के एसबीआई बैंक शाखा आर.ए.सी.सी. झालावाड़ के लिए साथ लाये सरकारी वाहन व मोटरसाईकिलों से रवाना हुआ। सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत की मोटर साईकिल श्री पवन कुमार कानि0 को सुपुर्द कर बैंक आने के लिए निर्देशित किया गया। बैंक पहुंचकर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को आगे-आगे चलने की कहकर एसबीआई आरएसीसी शाखा झालावाड़ में सीढ़ियों से चढ़कर बैंक में प्रवेश किया। सीढ़ियों की दाहिनी साईड के बड़े कमरे में बायीं साईड टेबल कुर्सी पर बैठे सीट के पीछे उप प्रबंधक की प्लेट लगे व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री प्रियांश गोयल जी उप प्रबंधक है, जिनके कहने पर मैंने श्री गजेन्द्र कुमावत को 30,000रूपये रिश्वत राशि दी थी । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को अपना नाम व पद का परिचिय देते हुए उसका नाम पता व पद के बारे में पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री प्रियांश गोयल पुत्र श्री विरेन्द्र गोयल जाति महाजन उम्र 34 साल निवासी मकान नं0 17 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा हाल उप प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड़ होना बताया। श्री प्रियांश गोयल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा गया तो उन्होने बताया कि श्री मोहम्मद आरिफ महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, झालावाड़ ने मुख्यमंत्री लघु उघोग योजना में एसबीआई गढ पेलेस झालावाड़ में आवेदन किया था, जो फाईल अगस्त माह में एसबीआई की आरएसीसी षाखा को प्राप्त हुई थी, जिसमें कमीयां होने के कारण उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लौटा दिया गया था, जो कि मैं नहीं हूं। इसके उपरान्त श्री मोहम्मद आरिफ द्वारा 30 अगस्त 2024 को पुनः उक्त फाईल को व्यक्तिगत रूप से पुनः एसबीआई आरएसीसी शाखा झालावाड़ में प्रस्तुत किया गया। कमीयां पूर्ण हो जाने के कारण फाईल को मेरे द्वारा प्रोसेंस किया गया और सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। जैसा कि श्री मोहम्मद आसिफ परिवादी ने कहा है कि उनकी मुझसे 5 प्रतिशत पैसे लेने की बात हुई है, जो कि असत्य है। मेरी श्री मोहम्मद आसिफ से सीधे कोई बात नहीं हुई ना ही मेरे द्वारा कोई रिश्वत की मांग की गई है । इसके उपरान्त भी इन्होने मुझसे खेल संकूल झालावाड में मिलना बताया है जो सही है, परन्तु मेरे द्वारा वहां भी कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी गई केवल गजेन्द्र जी फीस देने के संदर्भ में कहा गया था। इनका जो आरोप है मेरे द्वारा लोन वितरण को रोका गया उसके लिए भी मैं सक्षम प्राधिकारी नहीं हूं तथा जो इनकी फोन 30,000रूपये देने की कही गई बात भी गजेन्द्र जी को उनके काम की शेष फीस देने के संदर्भ में थी तथा गढ़ पैलेस शाखा जहां से इन्होने आवेदन किया था वहां बात करने को कहा गया ताकि वह उचित माध्यम सक्षम प्राधिकारी से बात करके ऋण वितरण करायें। आरोपी श्री प्रियांश गोयल की बात खण्डन करते हुए परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मेरी प्रियांश जी उप प्रबंधक से पूर्व में मेरे लोन के सम्बंध में बात हुई थी तो इन्होने मुझसे 50,000रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर इन्होने 40,000रूपये लेने के लिए सहमत हो गये थे। तथा रिश्वत राशि श्री गजेन्द्र कुमावत को देने को कहा था इनके कहे अनुसार ही मैंने पूर्व में 10,000/-रूपये व आज 30,000/-रूपये श्री गजेन्द्र कुमावत जी को दिये है। जिसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। इसके बाद सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखी गई थी। अतः उक्त पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्वक होने से एक लोवर मंगवाकर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत पहनी हुई पेन्ट उतरवायी जाकर लोवर पहनाया गया। एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया। सहआरोपी की पहनी पेन्ट बरंग हरा कलर की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलावाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसको दो कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर शिल्ड चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया तथा पेन्ट की जेब को पखे की हवा में सुखाकर उस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्ड चीट कर मार्क-पी अंकित कर

सम्बंधितों हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल को नष्ट करवाया गया। रिश्वत राशि 500-500रूपये के 60 नोटो कुल 30,000रूपये बरामद करते समय व हाथ धुलाई, पेन्ट धुलाई की जरिये मोबाईल विडियोग्राफी की जाकर जरिये लेपटॉप डिवीडी तैयार की गई। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06.00 पीएम पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करना है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री शिवराज कानि0 मय सरकारी वाहन मय चालक के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आरएसीसी झालावाड़ से परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। डिटेनशुदा आरोपीगण श्री प्रियांश गोयल व श्री गजेन्द्र कुमावत को एसीबी जाब्ते की निगरानी में बैंक में ही छोड़ा गया। समय 06.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान, जाब्ता, सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ पहुंचा। जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की निशानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्शा मौका हाजरीन को दिखाकर व समझाया गया जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। बाद घटनास्थल नक्शा मौका कार्यवाही के मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता सरकारी वाहन से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आरएसीसी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 06.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान, जाब्ता, सरकारी वाहन मय चालक के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आरएसीसी झालावाड़ पहुंचा। ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 06.40 पीएम पर आरोपी श्री प्रियांश गोयल पुत्र श्री विरेन्द्र गोयल जाति महाजन उम्र 34 साल निवासी मकान नं0 17 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा हाल उप प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा आपसे खेल संकूल झालावाड़ के परिसर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी तथा दिनांक 11.09.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन के समय सहआरोपी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आपकी सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत व परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री प्रियांश गोयल ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.00 पीएम पर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री राधेश्याम कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 1143 मुरली मनोहर मन्दिर, मैला मैदान, सुनेल जिला झालावाड़ हाल फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कम्पनी ऑडिटर सहायक (प्राईवेट व्यक्ति) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सहआरोपी को बताया कि दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा आपसे राधारमन मैरिज हॉल व खेल संकूल झालावाड़ के परिसर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी तथा दिनांक 11.09.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ पर आपकी परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व आपके मोबाईल से आरोपी श्री प्रियांश गोयल से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.15 पीएम पर आरोपी श्री प्रियांश गोयल पुत्र श्री विरेन्द्र गोयल जाति महाजन उम्र 34 साल निवासी मकान नं0 17 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा हाल उप प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड़ द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस का औधोगिक ऋण पास करवाने की एवज में 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 40,000रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को दिलवाने की कहने पर सत्यापन के समय 10,000रूपये श्री गजेन्द्र कुमावत को दिलवाना व शेष राशि 30,000रूपये आरोपी श्री प्रियांश गोयल के कहे अनुसार सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत द्वारा प्राप्त करने पर रंगे हाथों पकड़ा जाना जुर्म धारा 7,7ए पीसी एक्ट संशोधित 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री प्रियांश गोयल को धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने एवं इस अपराध के

साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सतीशचन्द शर्मा से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसकी पत्नि श्रीमती चेतना गुप्ता को जरिये मोबाईल _पर दी गयी । उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07.30 पीएम पर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री राधेश्याम कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 1143 मुरली मनोहर मन्दिर, मैला मैदान, सुनेल जिला झालावाड़ हाल फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कम्पनी ऑडिटर सहायक (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस का औधोगिक ऋण पास करवाने की एवज में आरोपी श्री प्रियांश गोयल के कहे अनुसार 40,000रूपये रिष्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री प्रियांश गोयल के कहे अनुसार सत्यापन के दौरान खेल संकूल झालावाड़ परिसर में 10,000रूपये प्राप्त करना तथा आज परिवादी की दुकान पर पहुंचकर 30,000रूपये रिष्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना जुर्म धारा 7,7ए पीसी एक्ट संशोधित 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेष किया जाना आवश्यक है। अतः सहआरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। सहआरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा से लिवायी गयी तो सहआरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। सहआरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसकी पत्नि श्रीमती निकिता कुमावत को जरिये मोबाईल पर दी गयी। सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत की मोटरसाईकिल नं. आरजे 17 बीएस 1554 मय चाबी उनके कहेनुसार श्री सुनील कुमावत को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07.45 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द शर्मा व श्री देवाशीष0 कालवा की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को निर्देश देकर दिनांक 11.09.2024 को रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत से उसकी दुकान महावली फर्निचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ के सामने व आरोपी श्री प्रियांश गोयल से सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत के मोबाईल से स्पीकर ऑन कर उसकी व परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के मध्य आपस में वार्ता हुई थी उक्त वार्तालाप को परिवादी को सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ के समक्ष वार्ता को स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, तो वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत व तीसरी आवाज श्री प्रियांश गोयल की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पीएम पर दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व आरोपी श्री प्रियांश गोयल उप प्रबंधक तथा सहआ०रोपी श्री गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक(प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 11.09.2024 को समय 12.10 पीएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 11.09.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ व सहआ०रोपी श्री गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक(प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य तथा आरोपी श्री प्रियांश गोयल उप प्रबंधक से सहआरोपी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आपस में तीनों के मध्य वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 11.09.2024 को समय 07.45 पी.एम. पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में डीवीडीयां लगाकर ब्रन कराकर पांच क्लोनिंग डीवीडीयां तैयार करवायी गयी। पांचों डीवीडीयों व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा पांचों डीवीडीयों में से एक डीवीडी आरोपी श्री प्रियांश गोयल के लिये, एक डीवीडी सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत के लिए, एक डीवीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक डीवीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे० की थेली में अलग-अलग रखकर चारों डीवीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए

मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 1067DXJDL01X BM MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द क्लोनिंग डीवीडी पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा डीवीडीयों व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 09.20 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की वक्त रिश्वत लेनदेन के समय सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत के मोबाईल नम्बर का स्पीकर ऑॅन कर सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत व परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की आरोपी श्री प्रियांश गोयल के मोबाईल नम्बर पर रिश्वत लेनदेन के समय वार्ता हुई थी। इसलिए उक्त दोनों आरोपीगणों के मोबाईलों को वजह सबूत जब्त किया जाना आवश्यक है। अतः सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत का मोबाईल VIVO 5G बरंग स्लेटी कलर डबल सिम का जिसमें दोनों सिम जीओ कम्पनी की लगी हुई है, जिसमें एक सिम नम्बर [redacted] व दूसरी सिम नम्बर [redacted] है तथा आरोपी श्री प्रियांश गोयल का मोबाईल POCO 5G बरंग काला डबल सिम जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी की सिम नम्बर [redacted] व दूसरी सिम बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर [redacted] लगी हुई है। उक्त दोनों मोबाईलों को मय सिम के वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द जब्ती मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.50 पीएम पर ट्रेप से सम्बंधित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। आरोपीगण के किराये के मकानों की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक है। अतः गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री प्रियांश गोयल व श्री गजेन्द्र कुमावत का साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता व जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल आर्टिकल्स इत्यादी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन व प्राटवेट मोटरसाईकिलों से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आरएसीसी झालावाड़ से आरोपी श्री प्रियांश गोयल उप प्रबंधक के किराये के मकान श्री राजेन्द्र कुमार मितल का मकान नं0 139ए जवाहर कॉलोनी, झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ को मौके से ही रूखसत किया गया। समय 10.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के आरोपी श्री प्रियांश गोयल के किराये के मकान नं. 139ए पर पहुंचा जहां पर आरोपी की पत्नि व पुत्री मौजूद थे। उनको घटना के सम्बंध में अवगत कराकर व आरोपी श्री प्रियांश गोयल की सहमती प्राप्त कर आरोपी के किराये के मकान की नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। आरोपी द्वारा दो कमरे रसोई घर व हॉल किराये पर लिये हुए है, जिनकी नियमानुसार तरतीब वाईज खाना तलाशी लेकर वीडियोग्राफी करवाकर जरिये लेपटॉप डीवीडी तैयार करवायी गयी। खाना तलाशी में कोई संदिग्ध राशि एवं वस्तु स्वर्ण आभुषण व दस्तावेज नहीं पाये गये। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री प्रियांश गोयल को निःशुल्क दी गयी। बाद खाना तलाशी सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत का किराया का कमरा मकान मालिक श्री सत्यनारायण धाकड़ का मकान नं. 57 ड्रीम सिटी झालावाड़ के लिये रवाना हुआ। समय 10.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत का किराया का कमरा मकान मालिक श्री सत्यनारायण धाकड़ का मकान नं. 57 ड्रीम सिटी झालावाड़ पहुंचा। सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत द्वारा एक कमरा किराये पर लिया हुआ है, जिसे खुलवाकर सहमती प्राप्त कर नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। खाना तलाशी लेकर वीडियोग्राफी करवाकर जरिये लेपटॉप डीवीडी तैयार करवायी गयी। खाना तलाशी में कोई संदिग्ध राशि एवं वस्तु स्वर्ण आभुषण व दस्तावेज नहीं पाये गये। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को निःशुल्क दी गयी। बाद खाना तलाशी गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री प्रियांश गोयल व श्री गजेन्द्र कुमावत का साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता व जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल आर्टिकल्स इत्यादी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन व प्राटवेट मोटरसाईकिलों से एसीबी चैकी झालावाड़ के लिये रवाना हुआ। समय 11.30 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय दोनों आरोपीगण व साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा मोबाईल, रिश्वत राशि 30,000 रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री भोजराज सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी वार्ड नं0 30 द्वपौला गली बड़ा बाजार, झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर मजमून दरियाफ्त पर बताया कि परिवादी व उसके भाई मोहम्मद आरिफ का काम स्टील फर्निचर का है। उस काम को बढ़ाने के लिए हमने यू. पी.वी.सी. मशीन, विंडो मशीन खरीदने के लिए परिवादी द्वारा अपने भाई मोहम्मद आरिफ के नाम से उघोग केन्द्र झालावाड़ में माह अगस्त में लोन के लिए आवेदन किया था। परिवादी का जिला उघोग केन्द्र झालावाड़ से 11,00,137 रूपये लोन पास होकर एसबीआई ब्रांच गढ़ परिसर शाखा झालावाड़ से प्रोसेस होकर एसबीआई की बड़ी ब्रांच आरएसीसी झालावाड़ में जाना बताया था। इस पर परिवादी आरएसीसी ब्रांच झालावाड़ में श्री प्रियांश गोयल उप प्रबंधक से मिला तो

उन्होने लोन पास करने की एवज में 50,000रूपये की रिश्वत की मांग की, परिवादी द्वारा हाथा जोड़ी करने पर 40,000 रूपये लेने का दबाव बनाकर लेने के लिए राजी हुए। फिर श्री प्रियांश गोयल उप प्रबंधक ने श्री गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक के समक्ष परिवादी से कहा कि 40,000रूपये का इंतजाम कर श्री गजेन्द्र कुमावत को दे देना। इस पर श्री गजेन्द्र कुमावत तकरीबन 15 दिनों से परिवादी को फोन कर 40,000रूपये लेने के लिए दबाव बना रहे थे। इस पर उसी दिन दिनांक 10.09.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी श्री प्रियांश गोयल के कहे अनुसार उसके पास पड़े 10,000रूपये सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को दिलवाये तथा शेष राशि 30,000रूपये अगले दिन सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत को देने के लिए कहा था। इस पर दिनांक 11.09.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी की दुकान महावली फर्नीचर एण्ड वेलडिंग वर्कस, बड़ा बाजार, कुजड़ा गली, झालावाड़ में सहआरोपी श्री गजेन्द्र कुमावत द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री प्रियांश गोयल के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर स्पीकर ऑन कर स्वयं व परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ की रिश्वत राशि 30,000रूपये प्राप्त करने की बातचीत करवायी गई। इसी दौरान परिवादी श्री मोहम्मद आसिफ द्वारा एसीबी टीम की तरफ रिश्वत राशि देने का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर एसीबी टीम द्वारा सहआरोपी को रिश्वत राशि 30,000रूपये प्राप्त करते हुए रंग हाथों पकड़ा गया। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व रिश्वत राशि की बरामदगी उसकी पहनी पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ। एसीबी टीम द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आरएसीसी झालावाड़ पहुंचकर आरोपी श्री प्रियांश गोयल को डिटेन किया जाकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। परिवादी के लोन से सम्बंधित पेण्डिंग कार्य की प्रमाणित षुदा पत्रावली प्राप्त की गई। रिष्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.09.2024, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 11.09.2024, फर्द बरामदगी दिनांक 11.09.2024 से तथा आरोपी व सहआरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की मोबाईल से वार्ता करने पर उक्त मोबाईलों को जब्त किया गया। आरोपीगणों के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित गया। अतः आरोपीगण श्री प्रियांश गोयल पुत्र श्री विरेन्द्र गोयल जाति महाजन उम्र 34 साल निवासी मकान नं0 17 सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़ कोटा हाल उप प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड़ व श्री गजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री राधेश्याम कुमावत जाति कुमावत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 1143 मुरली मनोहर मन्दिर, मैला मैदान, सुनेल जिला झालावाड़ हाल फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कम्पनी ऑडिटर सहायक (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़। .....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित2018) में आरोपीगण 1- श्री प्रियांश गोयल पुत्र श्री विरेन्द्र गोयल, निवासी मकान नम्बर 17, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड, कोटा हाल उप प्रबन्धक, स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, शाखा आर.ए.सी.सी., झालावाड एवं 2- श्री गजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री राधेश्याम कुमावत, निवासी मकान नम्बर 1143 मुरली मनोहर मन्दिर मैला मैदान, सुनेल, जिला झालावाड हाल फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कम्पनी ऑडिटर सहायक (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 212 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1079-82 दिनांक 13.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।2 उप महानिरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।3- महाप्रबन्धक नेटवर्क-2, स्थानीय प्रधान कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक सी स्कीम तिलक मार्ग, जयपुर।4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/04/1990				
2	Male	01/11/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)